

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.9/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सारांश.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सा.का.नि. 411(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 को विखंडित करती है ।

(फा.सं.334/04/2018-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार